

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: -आईडी-92/चिस्वा/ग्रुप-3/2023
आदेश

दिनांक: 25/04/23

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) के नियम 19 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि (Purview) में नहीं आने वाले पदों में सीधी भर्ती के लिए वरीयता सूची तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अवधारित बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/एफ-812/2022/1138 दिनांक 15.11.2022 जारी किया जाकर नियमित भर्तियों में पात्र अभ्यर्थियों को एक वर्ष की पूर्ण अवधि पर 10, दो वर्ष की पूर्ण अवधि पर 20 एवं तीन वर्ष की पूर्ण अवधि पर अधिकतम 30 बोनस अंक का प्रावधान रखा गया है।

कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत, कोविड अवधि दिनांक 22.3.2020 से 13.2.2022 के दौरान विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं में कार्यरत रहे कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में कार्य करने को दृष्टिगत रखते हुए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23.05.2022 के अनुरूप समरूप कार्य के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले संविदा/तदर्थ/आवश्यक अस्थाई आधार पर आर.एम.आर.एस. /प्लेसमेंट एजेन्सी/एन.जी.ओ./पी.पी.पी./108/एम.एम.यू./एम.एम.वी. के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वर्ष 2023-24 (मार्च, 2024) तक की जाने वाली भर्तियों में वर्णित तालिका के अनुसार संशोधित बोनस अंक देय होंगे:-

1) ऐसे कार्मिक जो कि कोविड अवधि से पूर्व से नियुक्त थे तथा जिनके द्वारा कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान भी संविदा/तदर्थ आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्य किया गया है तथा वर्तमान में निरन्तर कार्यरत है अथवा नहीं है, एवं 2) ऐसे कार्मिक जो कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान संविदा/तदर्थ आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त हुए हैं तथा वर्तमान में निरन्तर कार्यरत है अथवा नहीं है को वर्ष 2023 से 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों हेतु

संविदा/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्य अवधि	बोनस अंक
1. दो वर्ष से कम	15
2. दो वर्ष या इससे अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	20
3. तीन वर्ष या इससे अधिक	30

शेष समस्त कार्मिक जो कोविड अवधि के दौरान कार्यरत नहीं रहे हैं अर्थात् दिनांक 21.3.2020 तक ही कार्यरत रहे हैं अथवा दिनांक 13.2.2022 के पश्चात नियुक्त किये गये हैं, को आदेश क्रमांक 1138 दिनांक 15.11.2022 के अनुसार 10, 20 एवं 30 बोनस अंक देय होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

— २० —
(नरेन्द्र बंसल)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर को आई.डी. क्रमांक 212300006 दिनांक 1.4.2023 के क्रम में।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य)/अराजपत्रित/(आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अनुभव जारीकर्ता अधिकृत अधिकारी।

— २१ —
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: आई.डी.-92/चि.स्वा./ग्रुप-3/2023

दिनांक: 25/04/2023

1. प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. निदेशक, जनस्वा0/आरसीएच/आई.ई.सी./एड्स/आर.आर.सी/मोबाईल सर्जिकल यूनिट/SIHFV
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज/झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसायटी/राजकीय डेन्टल कॉलेज/राजमेस के मेडिकल कॉलेज/आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज।
3. परियोजना निदेशक, एनएचएम/एड्स।
4. अधिकृत अधिकारी, सहकारिता विभाग।
5. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. समस्त, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
10. समस्त उप निदेशक, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला।
11. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा वर्ष 2023 में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के पद को भरे जाने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञापितियों के संदर्भ में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) के नियम 19 में बोनस अंक दिये जाने के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत अनुभव की अवधि के आधार पर अनुभव का लाभ दिया जाना है, जिसके लिये संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

इन नियमों में उल्लेखित योजनाओं में संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत हैं/रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को बोनस अंक हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. विज्ञापित जारी होने की दिनांक से विज्ञापित पद के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किये गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। निर्धारित अवधि अर्थात् ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि उपरान्त कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाईन आवेदन आरम्भ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक ही की जावेगी। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
2. फार्मासिस्ट पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, एड्स नियंत्रण सोसायटी, सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार, सहकारी उपभोक्ता भण्डार और अन्य सहकारी संस्थानों के अधीन सहकारी विभाग में एवं राज्य सरकार के अधीन समरूप कार्य करने की अनुभव अवधि को ध्यान में रखते हुये विभाग के संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. फार्मासिस्ट के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय राजस्थान सरकार के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष, एड्स नियंत्रण सोसायटी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी. सी.पी.), झालावाड़ अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान (SIHFV) एवं राज्य सरकार के अधीन समरूप कार्य करने की अनुभव अवधि को ध्यान में रखते हुये विभाग के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. अतः बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के अनुसार राजस्थान सरकार के अधीन संचालित समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित योजनाओं में समरूप कार्य करने वाले संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/यू.टी.बी. पर एमआरएस/प्लेसमेंट एजेंसी/एन.जी.ओ./108/पी.पी.पी. मोड के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को दी गई सेवाओं का अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी एवं सत्यापन करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर जारी किया जावे। निजी चिकित्सा संस्थानों/गैर सरकारी संस्थानों एवं चिकित्सा विभाग की योजनाओं से इतर योजनाओं/आउटसोर्स सेवाओं में कार्यरत किसी भी कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

5. अनुभव प्रमाण पत्र में दी गई समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण किया जाना है।
6. प्लेसमेंट एजेन्सी/एन.जी.ओ./108 एम्बुलेंस/एमएमयू/एमएमवी/पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत पात्र संविदा कार्मिकों के प्रमाण पत्र भी अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी एवं सत्यापन करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर जारी किए जायेंगे। अतः अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी इनके माध्यम से कार्यरत पात्र संविदा कार्मिकों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने से संबंधित समस्त दस्तावेज/रिकार्ड संबंधित एजेन्सी/एनजीओ से प्राप्त कर इसके आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें।
7. विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जायें। इस अनुभव प्रमाण पत्र पर जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम मय सील के स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है, जिस पर कार्यालय प्रक्रियानुसार विधिवत रूप से डिस्पेच नम्बर एवं दिनांक अंकित किया जाना अनिवार्य है। यह अनुभव प्रमाण पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जावे जिसकी मुख्य प्रति आवेदक को, द्वितीय प्रति संयुक्त निदेशक जोन/प्रधानाचार्य संबंधित मेडिकल कालेज, तृतीय प्रति निदेशक (अराजपत्रित), निदेशालय के लिये, जिसे आपके पास सुरक्षित रखी जावेगी एवं उनके द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराई जावेगी तथा चतुर्थ प्रति आपके कार्यालय में सत्यापन के उद्देश्य से सुरक्षित रखी जाये।
8. यदि कार्मिक 108 एम्बुलेंस में कार्यरत रहा है और वर्तमान में उक्त सेवा प्रदाता राज्य में कार्यरत नहीं है और ऐसी स्थिति में आवेदक सेवा प्रदाता से अनुभव का ब्यौरा प्राप्त करने में जारी करने वाले असमर्थ है तो ऐसे आवेदकों को पूर्व में (2013/2018) की भर्तियों हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित/कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से करने के पश्चात्, अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र 'अ' में ही जारी किये जावें एवं इसका उल्लेख जारी अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित बिन्दु के कॉलम में कर दिया जावें।
9. रिट याचिका संख्या 2577/2020 महिपाल लखेरा बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2021 की अनुपालना में यदि अनुबंध मासिक आधार पर किया गया है एवं भुगतान भी मासिक आधार पर पूर्ण माह का हुआ है तो MMU/MMV पर कार्यरत कार्मिक का अनुभव पूरे माह का माना जायेगा बशर्ते वह सभी निर्धारित कैम्प दिवसों (जैसा भी अनुबंध में दिया गया हो) पर उपस्थित रहा हो। यदि विभाग/एजेन्सी ने कार्मिक के मासिक वेतन में से अनुपस्थित दिवसों के आधार कटौती की है तो माह में उतने दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें जितने दिवस कार्मिक कार्यरत रहा है।
10. ऑनलाईन आवेदन के लिये अनुभव के आधार पर बोनस अंक के दावे हेतु आवेदन पत्र के साथ पात्र आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 में कार्य करने वाले कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश भी अपलोड किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आवेदन करने वाले प्रार्थियों को समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना आपका दायित्व होगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक का प्रार्थना पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से कम से 3 दिवस पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके उपरान्त स्वीकार किये गये प्रार्थना पत्रों पर यदि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में कोई विलम्ब अथवा त्रुटि रह जाती है तो इसके लिये अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
11. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकृत प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्य करने के संबंध में उसके पदस्थापित कार्यालय/संस्थान से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुये रिकार्ड का अवलोकन एवं विस्तृत जांच करने के पश्चात् पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरती जावें। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी प्रकार त्रुटि/लापरवाही के लिये जारीकर्ता अधिकारी पूर्ण जिम्मेदार होंगे।
12. संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत है/रहे है उन कार्मिकों को कार्मिक की नियुक्ति आदेश, कार्य एवं भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल/पीएफ कटौती व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सम्पादित किए गए कार्य की प्रकृति आदि की जांच के पश्चात् ही, समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखने के पश्चात् (भविष्य में मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा) कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावें।
13. कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान किसी भी अवधि हेतु कार्यरत रहे कार्मिकों के नियुक्ति आदेश, उपस्थिति एवं भुगतान प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जांच लें। आवेदक को उक्त हेतु जारी किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति भी ऑनलाईन आवेदन में अपलोड आवश्यक रूप से की जावे।
14. राज्य सरकार के न्यूनतम मानदेय संबंधी नियम के अनुसार यदि अनुबंध मासिक है एवं मासिक भुगतान दर में 26 का भाग देकर दैनिक भुगतान दर निकाली गयी है तो 26 दिवस कार्य करने पर इस अवधि को 01 माह गिना जायेगा। अतः यदि कार्मिक ने 26 दिवस कार्य के एवज में पूर्ण माह का भुगतान प्राप्त कर लिया है तो 26 दिन को 01 माह गिना जायेगा। परिशिष्ट के बिन्दु संख्या 7.8 में अंकित कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर बोनस अंक दिये जाने हेतु अनुभव अवधि की गणना की जायेगी।
15. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज/राजमेस के मेडिकल कॉलेज/झालावाड़ मेडिकल कॉलेज/आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

16. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित जोन के संयुक्त निदेशक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
17. विभाग के अधीन राजकीय चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने है। निजी क्षेत्र/संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ देय नहीं है।
18. किसी भी आवेदक को जिसने इन आदेशों अथवा विज्ञप्ति में उल्लेखित संस्थान/योजना में संविदा पर कार्य सम्पादित किया है, उसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार नहीं किया जावे अपितु उसने जो भी कार्य सम्पादित किया है एवं जिस अवधि के लिए किया है, उस कार्य का उस अवधि के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जावे। यदि आवेदक द्वारा अलग-अलग अवधि हेतु अलग-अलग पद पर रहते हुए अलग-अलग कार्य सम्पादित किया हो तो उसका अलग-अलग ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावे। यदि आवेदक ने एक पद पर रहते हुए अलग-अलग अवधि हेतु अलग-अलग कार्य सम्पादित किया है, तो तदनुसूच अलग-अलग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अलग-अलग ही जारी किया जायेगा। यदि अनुभव प्रमाणपत्र प्रपत्र के किसी बिन्दु से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसका इंद्राज अनुभव प्रमाणपत्र के सम्बन्धित बिन्दु के सामने कॉलम में आवश्यक रूप से कर दें।
19. अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने का अभिप्राय यह नहीं है कि आवेदक का कार्य विज्ञापित पद के समान मान लिया जावे। यदि आवेदक ने विज्ञापित पद के समान कार्य नहीं किया है तो संबंधित बिन्दु के कॉलम में 'नहीं' लिखकर प्रमाण पत्र जारी किया जाये।
20. यदि आवेदक ने मात्र कुछ अवधि के लिये विज्ञापित पद के समान कार्य संपादित किया है तो केवल उतनी अवधि का ही समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित बिन्दु के कॉलम में 'हाँ' अंकित कर जारी करें एवं शेष अवधि के लिये संबंधित बिन्दु के कॉलम में 'नहीं' अंकित कर अलग अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें।
21. यदि पूर्व में भर्ती 2022 हेतु जारी विज्ञप्तियों के कम में अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और अनुभव प्रमाणपत्र जारीकर्ता इसकी प्रविष्टियों से संतुष्ट हैं तो पूर्व में जारी अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्व में दी गई प्रविष्टियों को काम में लेते हुए नवीन अनुभव प्रमाण पत्र पूर्व के सभी बिन्दुओं सहित नवीन आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए जारी किया जा सकता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र का प्रारूप।



(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 25/04/2023

क्रमांक: आई.डी.-92/चि.स्वा./गुप-3/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2/3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक जन (स्वा.)/अराजपत्रित/आर.सी.एच./शीफू/एड्स/आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
11. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीन कार्यरत संविदा कार्मिक को परिशिष्ट 'अ' में जारी किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित किए जाने वाले समस्त बिन्दुओं की आपसे संबंधित सूचना/दस्तावेज संबंधित जारीकर्ता एवं सत्यापन करने वाले अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करवाये।
12. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि सभी संबंधित अधिकारियों को ई-मेल पर प्रेषित करते हुए विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे।
13. रक्षित पत्रावली।



(नरेन्द्र कुमार बंसल)

संयुक्त शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग

राजस्थान जयपुर

नर्सिंग/पैरामेडिकल भर्ती- 2023 हेतु आपके अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप
(विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे)

कार्यालय का नाम

अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक.....

क्रमांक :

दिनांक :

(अलग-अलग पदनाम/अवधि/अनुबंध/वेतन/संस्थान/एजेन्सी होने पर अलग-अलग अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नी/पुत्री नीचे दर्शाये अनुसार इस कार्यालय के अधीन दिनांक से दिनांक तक कार्यरत रहे हैं :-

क्र. सं.	विवरण	प्रविष्टि
1	अभ्यर्थी का नाम	
2	जन्म दिनांक	
3	पिता का नाम	
4	उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान कार्यरत संस्थान का नाम एवं स्थान	
5	5.1 उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान पदनाम	
	5.2 उपरोक्त पद स्वीकृति के आदेश संख्या व दिनांक	
	5.3 योजना का नाम जिसके तहत पद स्वीकृत हुआ	
	5.4 उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता	
6	6.1 उपरोक्त पद पर संपादित किया गया कार्य	
	6.2 क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य (जॉब चार्ट) के समान है (पूर्ण गम्भीरता से आंकलन कर अंकित करें)	हाँ/नहीं
7	7.1 अनुबंध किस प्रकार किया गया है ?	सीधा कार्मिक से/आर.एम.आर.एस. के माध्यम से /पीपीपी/108एम्बुलेन्स/एजेन्सी/एन.जी.ओ. के माध्यम से
	7.2 यदि एजेन्सी/एनजीओ/पीपीपी/108 एम्बुलेन्स के माध्यम से है, तो इस पद हेतु कितने कार्मिक इस एजेन्सी के माध्यम से जिले में कार्यरत है। (इनकी सूची व भुगतान प्रमाण पत्र/पीपीएफ आदि प्राप्त करें)	
	7.3 इस एजेन्सी/एनजीओ को दिये गये कार्यदेश या अनुबंध क्रमांक/दिनांक	
	7.4 अनुबंध मासिक दर पर किया गया या दैनिक दर पर या जॉब बेसिस पर।	मासिक/दैनिक/जॉब बेसिस (किसी एक को चुने)
	7.5 अनुबंध की मासिक/दैनिक/जॉब बेसिस पर भुगतान दर (भुगतान दर अलग-अलग होने पर अलग-अलग प्रमाण पत्र भरें)	
	7.6 अनुभव अवधि (ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक की अवधि को ही गणना में सम्मिलित किया जावे)	कब से कब तक कुल दिवस..... (अवधि निरन्तर नहीं होने की स्थिति में पृथक-पृथक अनुभव अवधि के लिये पृथक-पृथक प्रमाण पत्र भरा जावे)
	7.7 उक्त अवधि के दौरान किया गया कुल भुगतान	
	7.8 भुगतान दर के अनुसार कार्य दिवसों की संख्या *	
8	क्या कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 तक कार्यरत रहा है ? (यदि उक्त अवधि के दौरान नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति आदेश ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करने होंगे)	(हां/नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश क्रमांक..... दिनांक..... की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्मिक के नियुक्ति, कार्य एवं भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा- अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, पीएफ कटौती, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सम्पादित किए गए कार्य की प्रकृति आदि की जांच के पश्चात् ही जारी किया गया है एवं सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सुरक्षित रख ली गयी है जिन्हे भविष्य में मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिया जावेगा। उक्त प्रमाण पत्र का इन्द्राज इस हेतु संघारित रजिस्टर के पृष्ठ संख्या के क्रम संख्या पर दर्ज है।

अधिकृत अधिकारी

पदनाम मय सील

(अधिकृत अधिकारी उक्त प्रमाण पत्र को प्रमाणित करें इस पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं करें)

उक्त अनुभव प्रमाण पत्र की अनुभव अवधि को संविदाकर्मी के अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सम्पादित किए गए कार्य की प्रकृति आदि के अधार पर सत्यापित किया जाता है।

सत्यापनकर्ता अधिकारी

(उक्त प्रमाण पत्र को सत्यापित करें, इस पर प्रति हस्ताक्षर नहीं करें।)

- नोट:- 1. एजेन्सी/एनजीओ/पीपीपी/108 एम्बुलेन्स/एमएमयू/एमएमवी के माध्यम से जिले में कार्यरत की सूची, भुगतान का प्रमाण/पीपीएफ कटौती का रिकार्ड लिया जावे एवं निदेशालय को आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराया जावे।
2. * अनुभव की गणना हेतु इस बाबत जारी दिशा-निर्देश क्रमांक..... दिनांक..... देखें।